न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- अनिल कुमार अग्रवाल, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

मुकदमा नम्बर :- 121 / 2021

जीसीएमएस नम्बर 2021 / 214

उनवान प्रकरण :-

राजस्थान सरकार जरिये समीक्षा दिनकर, प्रवर्तन निरीक्षक धौलपुर

---------------------प्रार्थी।

बनाम

1—दिलीप पुत्र तेमभू नि0 बहादुरपुर पोस्ट कानवा पुलिस स्टेशन हैदरगढ जिला बाराबंकी उ0प्र0

2—जय मारूति गैस सिलेण्डर लिमिटेड,(म0प्र0) खसरा नंबर 401 / ए, नीमरानी इण्ड0 एरिया, जिला खरगौन मध्य प्रदेश पिन— 45166

3—कीर्ति ट्रेडर्स प्लॉट नंबर ई—450 रीको इण्ड.एरिया भिवाडी, अलवर राजस्थान

-----------------अप्रार्थीगण।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

1— प्रार्थी की ओर से :— दिव्या कमठान, सहायक लोक अभियोजक प्रथम।

2— अप्रार्थी सं0 1 व 3 की ओर से :— श्री राजीव मिश्रा एडवोकेट

निर्णय **दिनॉक :— 21.08.2023**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि जिला रसद अधिकारी द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों के अवैध व्यापार पर रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—03 पर रिलायंस पैट्रोल पम्प के सामने मिस्त्री मार्केट सागरपाडा, धौलपुर पर आगरा (उ0प्र0) की तरफ से आते हुए ट्रक संख्या HR-55-AB-8125 वास्ते जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु रोका गया। वाहन संख्या HR-55-AB-8125 के चालक दिलीप पुत्र श्री तेमभू निवासी बहादुरपुर पोस्ट कानवा पुलिस थाना हैदरगढ जिला बाराबंकी उ0 प्र0 से टैंकर में ले जाये जा रहे सामान के सम्बन्ध में

पूछताछ की गई। मौके पर वाहन की जांच की गई उक्त पैट्रोलियम उत्पाद को देखने सूंघने व सामान्य ज्ञान के आधार पर डीजल होना प्रतीत हुआ। मौके पर वाहन चालक दिलीप द्वारा उक्त पैट्रोलियम उत्पाद को कीर्ति ट्रेडर्स ग्राम दिगोली जिला मेरठ उ0प्र0 से खरीदा जाना तथा ई–वे बिल संख्या KT/RJ/418/21-22दिनांक 30.10.2021 मात्रा 24000 लीटर प्रस्तुत किया गया। मौके पर वाहन संख्या HR-55-AB-8125 में एक समय में निर्धारित सीमा 2500 लीटर से अधिक पैट्रोलियम उत्पाद अवैध भण्डारित कर परिवहन करता पाये जाने पर मौके पर उपस्थित वाहन चालक दिलीप पुत्र तेमभू निवासी बहादुरपुर पोस्ट कानवा पुलिस थाना हैदरगढ जिला बाराबंकी उ0प्र0 से मांगे जाने पर इस 24000 लीटर के परिवहन व भण्डारण करने सम्बन्धी कोई भी प्राधिकार पत्र/अनुज्ञापत्र/लाइसेंस/परमिट आदि पर्याप्त समय देने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किया गया, उसके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज उसके पास उपलब्ध नहीं होना पाया। उक्त तथ्यों के आधार पर 24000 लीटर पैट्रोलियम उत्पाद मय टैंकर संख्या HR-55-AB-8125 सहित डिटेन किया जाकर सुपुर्दगी पुलिस थाना/चैक पोस्ट सागरपाडा थाना कोतवाली जिला, धौलपुर को दिया गया। सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। मौके पर वास्ते जांच पैट्रोलियम पदार्थ की पुष्टि बावत् टैंकर के सभी कम्पाटमेंटों एवं नोजलों से समान मात्रा में सैम्पलिंग हेतु प्लास्टिक की एक साफ बाल्टी में लिया गया। इसके उपरांत उसे लकडी से हिलाकर मिलाया गया। कांच की तीन साफ पारदर्शी बोतलें लेकर पानी से धोकर एवं सुखाकर प्रत्येक को उक्त डीजल से भरा गया। उन्हें कपडे से बांधकर, मुंह पर धागा बांधा गया एवं तीनों बोतलों को चपडी लगाकर सील किया गया। एक सैम्पल वाहन चालक को उपलब्ध कराया गया, दूसरा सैम्पल कार्यालय में सुरक्षित रखा गया तथा तीसरा सैम्पल उत्पाद की जांच हेतु विशिष्ट प्रयोगशाला में भेजने हेतु रखा गया। सैम्पलों की सभी नमूना स्लिपों पर जांच अधिकारी, वाहन चालक एवं स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर कराये गये। सैम्पल की एक बोतल उत्पाद की जांच हेतु राज्य विधि प्रयोगशाला, जयपुर भेजी गई जिसके सम्बन्ध में राज्य विधि प्रयोगशाला, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक FSL/A&E/131/21 दिनांक 22.11.2021 में उक्त उत्पाद ज्वलनशील पैट्रोलियम हाइड्रोकार्बन सोल्वेन्ट बताया गया है जिसका फ्लेश पॉइन्ट 2 डिग्री सें.ग्रे. बताया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारी– विलायक रेफीनेट और स्लॉप(अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश–2000 के क्लॉज 3 के तहत "कोई व्यक्ति, राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति के बिना अनुसूची में सम्मिलित विलायकों का अर्जन, भण्डारण और विक्रय नहीं करेगा"। उपमुख्य विस्फोटक नियंत्रण, जयपुर का पत्रांक पी–3/जयपुर दिनांक 04.06.2002 के द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में बताया है कि पैट्रोलियम नियम–2002 के अन्तर्गत पैट्रोलियम पदार्थों का वर्गीकरण उनके फ्लेश पॉइन्ट के अनुसार किया गया है। पैट्रोलियम पदार्थ जिनका फ्लेश पॉइन्ट 23 डिग्री से.ग्रे. से नीचे होता है वे सभी वर्ग "क" में आते हैं । इसप्रकार उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं राज्य विधि प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप पुत्र तेमभू निवासी बहादुरपुर पोस्ट कानवा जिला

बाराबंकी उ0 प्र0 द्वारा पैट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन व क्षमता से अधिक भण्डारण कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी विलायक रेफीनेट और स्लॉप(अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश–2000 के क्लॉज 3 एवं पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश–1999 का स्पष्ट उल्लंघन किया है जोकि आवश्यक वस्तु अधिनिम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त प्रकरण में थाना अधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, धौलपुर के समक्ष दिनांक 01.12.2021 को एफ.आई. आर. दर्ज कराई जा चुकी है जिसकी प्रति संलग्न है। अतः उपरोक्त जब्तशुदा 24000 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ मय टैंकर संख्या HR-55-AB-8125 को राजसात करने चूंकि उक्त पैट्रोलियम पदार्थ एक ज्वलनशील द्रव्य है व इसमें छीजत की संभावना है अतः उक्त पैट्रोलियम पदार्थ का अंतरिम निस्तारण आदेश जारी करने की प्रार्थना की।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उन्हें इस नोटिस के संबन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें। अप्रार्थी संख्या–2 को जारी रजिस्टर्ड एडी नोटिस वावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्व दिनांक 28.2.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से श्री राजीव मिश्रा एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया तथा नोटिस का जबाव पेश किया। अप्रार्थी संख्या–1 व 3 ने अपने जबाव में कथन किया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम संख्या 10, 1955 केन्द्रीय विधि है जिसकी धारा–3 के अधीन, भारत सरकार, राज्य सरकारें तथा केन्द्र शासित प्रदेश सरकार अपने–अपने आधिकारिक क्षेत्र में अनुसूचित आवश्यक वस्तुओं (Scheduled Essential Commodities) के क्रय–विक्रय व भण्डारण के संबंध में कानून/शासनादेश/नियंत्रण आदेश (Regulations) जारी करती है। ऐसे किसी भी कानून/ Regulations का उल्लंघन (Violation) धारा–7 का अभियोग संबधिंत फोन पर विभागीय/पुलिस अधिकारी द्वारा पंजीकृत कराए जाने तथा अभियोग में बरामद वाद परिसम्पति (Case Property) का वादी की रिपोर्ट के आधार पर कलक्टर द्वारा धारा 6B के अधीन का कारण बताओ (Show Cause) नोटिस देकर विपक्षी/उत्तरदाता के उत्तर–साक्ष्यों में आधार पर यह सुनिश्चित करना होता है कि मामले में E.C. Act की धारा–3 के अधीन जारी रेगुलेशन का उल्लंघन होना विधिक रूप से पाया गया/अथवा नहीं। यदि हॉ तब बरामद वाद परिसम्पति राज्यसात (Confiscate) अन्यथा अधिकृत स्वामी का अवमुक्त किए जाने का विभिन्न प्रावधान धारा–6A के अधीन नियत है। कलक्टर का आदेश धारा 6C के अधीन अपीलीय न्यायालय (स्पेशल जज, E.C. Act) के यहॉ अपील योग्य है। उल्लेखनीय है, कि आवश्यक वस्तु अधिनियम –10, 1955 के उपर्युक्त विधिक व्यवस्था के आलोक में सादा निवेदन है कि प्रश्नगत वाद में बरामदशुदा पेट्रोलियम द्रव्य को दिनांक 30.10.2021 को (जैसा कि वादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत संख्या दि0 06.12.21 से स्पष्ट है) डीजल होने के संदेह में टैंकर/वाहन संख्या HR-55-AB-8125 में लदे परिवहन होते 24000 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ को वाहन सहित बरामद करके वादी द्वारा बिना विधिक परीक्षण (Chemical Analysis) के धारा 3/7 E.C. Act का अभियोग संख्या 0663/2021/ थाना

धौलपुर पर पंजीकृत कर दिया गया जबकि उत्तरदाता के वाहन चालक दिलीप के पास प्रश्नगत बरामदशुदा पैट्रोलियम पदार्थ के क्रय-विक्रय एवं परिवहन सम्बधी समस्त वैध प्रपत्र उपलब्ध थे जिन्हें जांच अधिकारी/वादी द्वारा परीक्षण नहीं किया गया तथा मात्र संदेह (देखन-सूंघने) के आधार पर प्रश्नगत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में E.C. Act की धारा-3 के अधीन जिस नियंत्रण आदेश विलायक रैफिनेट और स्लाप (अर्जन, विक्रय और भण्डारण एवं आटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश-2000 की क्लाज-3 व पैट्रोलियम उत्पाद उत्पादन भण्डारण एवं प्रदाय का रखरखाव आदेश 1999 के उल्लंघल का उल्लेख किया गया है, वह विधिक रूप से इस आधार पर मान्य नहीं है क्योंकि विलायक रैफिनेट और स्लाप (अर्जन, विक्रय एवं भण्डारण एवं ऑटोमोबाईल्स में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 के Sec-4 में सर्च-सीजन व FIR दर्ज कराने हेतु राजपत्रित अधिकारी अधिकृत है जबकि यहां वादी राजपत्रित अधि0 नहीं है अपितु खाध एवं रसद विभाग का निरीक्षण (अराजपत्रित) है। इसके अतिरिक्त इस नियंत्रण आदेश के खण्ड-7 में जो कैटेगराइज्ड वस्तुऐं दी गई हैं, उनमें वादी द्वारा कथित डीजल अथवा रसायनिक परीक्षण का द्रव्य इन्फ्लेमेबिल पैट्रोलियम हाइड्रोकार्बन साल्वेंट सम्मिलित नहीं है जिसकी छायाप्रति संलग्नक-1 है। तथा उत्तरदाता द्वारा प्रश्नगत पैट्रोलियम पदार्थ के कय-विकय एवं परिवहन सम्बधीं प्रपत्र कमशः संलग्लनक संख्या-2 क,ख,ग है। इस प्रकार उपर्युक्त E.C. Act संबधी विधिक व्यवस्थाओं के अधीन प्रश्नगत में उत्तरदाता द्वारा E.C. Act की धारा -3 के अधीन जारी किसी रेगुलेशन का कोई उल्लघंन नहीं किया गया है, अपितु धारा 3/7 का अभियोग भी अनाधिकृत अधिकारी/वादी द्वारा मात्र संदेह के आधार पर पंजीकृत कराया जाना स्पष्टतः परिलक्षित है जिससे उत्तरदाता को अनावश्यक क्षति हुई है। श्रीमान जी से सादर प्रार्थना है कि उपर्युक्त विधिक व्यवस्था के अधीन चूंकि प्रश्नगत मामले E.C. Act की धारा-3 के अधीन रेगुलेशन के उल्लघंन की किसी प्रकार पुष्टि नहीं होती, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत अभियोग में बरामदशुदा वाद परिसम्पत्ति अर्थात विधिक प्रपत्रों द्वारा ले जाए जा रहे पैट्रोलियम पदार्थ तथा वाहन को न्यायहित में उत्तरदाता मालिकाना को यथाशीघ्र वापिस कर नोटिस अन्तर्गत धारा 6A E.C. Act को निक्षेपित करने का कष्ट करे।

अभिभाषक अप्रार्थी ने उक्त प्रकरण से सम्बधित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर में अप्रार्थीगण के विरूद्व दर्ज एफ.आई.आर. 663/21 विचाराधीन प्रकरण धारा 3/7 ई.सी.एक्ट के प्रकरण में थानाधिकारी कोतवाली धौलपुर द्वारा एफ आर नम्बर 25/22 दिनांक 18.04.2022 की प्रमाणित प्रति, ऑडरशीट दिनांक 26.04.2022, वाहन सुपुर्दगी आदेश दिनांक 04.05.2022, वाहन सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौके पर वाहन की जांच की गई उक्त पैट्रोलियम उत्पाद को देखने सूंघने व सामान्य ज्ञान के आधार पर डीजल होना प्रतीत हुआ। मौके पर वाहन चालक दिलीप द्वारा उक्त पैट्रोलियम उत्पाद को कीर्ति ट्रेडर्स ग्राम दिमोली जिला मेरठ उ0प्र0 से खरीदा जाना तथा ई-बे बिल संख्या KT/RJ/418/21-22दिनांक 30.10.2021 मात्रा 24000 लीटर प्रस्तुत किया गया। मौके

पर वाहन संख्या HR-55-AB-8125 में एक समय में निर्धारित सीमा [illegible] से अधिक पैट्रोलियम उत्पाद अवैध भण्डारित कर परिवहन करता पाये जाने पर मौके पर [illegible] चालक दिलीप पुत्र तेमभू निवासी बहादुरपुर पोस्ट कानवा पुलिस थाना [illegible] जिला बाराबंकी उ0प्र0 से मांगे जाने पर इस 24000 लीटर के परिवहन व भण्डारण करने सम्बन्धी कोई भी प्राधिकार पत्र/अनुज्ञापत्र/लाइसेंस/परमिट आदि [illegible] प्रस्तुत नहीं किया गया, उसके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज उसके पास उपलब्ध नहीं होना पाया। उक्त तथ्यों के आधार पर 24000 लीटर पैट्रोलियम उत्पाद मय टैंकर संख्या HR-55-AB-8125 मौके पर जब्त किया जाकर सुपुर्दगी पुलिस थाना/चैक पोस्ट सागरपाड़ा थाना कोतवाली जिला, धौलपुर को दिया गया। राज्य विधि प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप पुत्र तेमभू निवासी बहादुरपुर पोस्ट कानवा जिला बाराबंकी उ0 प्र0 द्वारा पैट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन व क्षमता से अधिक भण्डारण कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी विलायक रेफीनेट और स्लॉप(अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल में उपयोग का निवारण) आदेश–2000 के क्लॉज 3 एवं पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश–1999 का स्पष्ट उल्लंघन किया है जोकि आवश्यक वस्तु अधिनिम–1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त प्रकरण में थाना अधिकारी पुलिस थाना कोतवाली, धौलपुर के समक्ष दिनांक 01.12.2021 को एफ.आई.आर. दर्ज कराई जा चुकी है। उपरोक्त जब्तशुदा 24000 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ मय टैंकर संख्या HR-55-AB-8125 को राजसात किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त प्रकरण से सम्बधित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर में अप्रार्थीगण के विरूद्व दर्ज एफ.आई.आर. 663/21 विचाराधीन प्रकरण धारा 3/7 ई.सी.एक्ट के प्रकरण में थानाधिकारी कोतवाली धौलपुर द्वारा एफ आर नम्बर 25/22 दिनांक 18.04.2022 अदम बकू गलत फहमी में पेश की जा चुकी है। प्रकरण में जब्त माल मय टैंकर को सुपुर्दगार की सुपुर्दगी में दिया जा चुका है। जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रकरण असत्य तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जिसकी कार्यवाही ड्रॉप की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण में जब्तशुदा 24000 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ मय टैंकर संख्या HR-55-AB-8125 को राजसात करने हेतु पेश किया है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि उक्त प्रकरण से सम्बधित माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर में अप्रार्थीगण के विरूद्व दर्ज एफ.आई.आर. 663/21 विचाराधीन प्रकरण धारा 3/7 ई.सी.एक्ट के प्रकरण में थानाधिकारी कोतवाली धौलपुर द्वारा एफ आर नम्बर 25/22 दिनांक 18.04.2022 पेश की जा चुकी है तथा प्रकरण में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा जब्त माल मय टैंकर संख्या HR-55-AB-8125 को दिनांक 26.04.2022 को सुपुर्दगार श्री मनमोहन गोयल पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल जाति वैश्य निवासी बद्रीनाथ अपार्टमेन्ट सेक्टर–4 द्वारिका नई दिल्ली की सुपुर्दगी में दिया जा चुका है। अतः जब प्रकरण में थानाधिकारी कोतवाली धौलपुर द्वारा माननीय न्यायालय में एफ.आर प्रस्तुत की जा चुकी है तथा माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा जब्त माल मय टैंकर संख्या HR-55-AB-8125 को सुपुर्दगार की सुपुर्दगी में दिया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र प्रभावहीन हो जाता है तथा इस न्यायालय

द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं रहता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रभावहीन हो जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः आदेश है कि उक्त प्रार्थना पत्र प्रभावहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर